WESTERN UP CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

DECEMBER 2020

Address- **WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY**

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. **0121- 2661238, 2661177;** **Fax:** **0121-2661685**

E-mail: **wupcc@rediffmail.com** **Website:** **www.wupcc.org**

INDEX

- UP govt approves ambitious Ganga Expressway project worth Rs 36,402 cr
- UP cabinet approves export policy
- UP becoming first choice of foreign investors
- Single window clearance for investors by March end, will enable easy access to policymakers
- Centre planning mechanism to solve tax issues in real time: FM Sitharaman
- Indian economy is gradually recovering: IMF
- Government makes it mandatory to mention 8-digit HSN Code in tax invoice for 49 chemical based products
- Chemicals industry needs to work together to tap global opportunities, say leaders
- Panel wants Government to take ESI Hospitals
- RBI Monetary Policy: RBI ने कहा- अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा बेहतर, -7.5 फीसदी रह सकती है जीडीपी ग्रोथ
- जीएसटी फॉर्म 26 एएस में दिखाए टर्नओवर पर नहीं देनी होगी अतिरिक्त जानकारी
- टैक्स नहीं बनने पर तीन महीने तक कर जमा करने से छूट
- ई-वे बिल के लिए रिटर्न फाइलिंग अनिवार्य

- एक दिसम्बर से ई-वे बिल जनरेट करने का नियम लागू
- अब एकमुश्त पांच साल के लिए जारी होंगे ट्रेड लाइसेंस
- ग्राहकों से ज्यादा वसूली की तो रदद होगा वाहन विक्रेताओं का ट्रेड सर्टिफिकेट
- अब हर उत्पाद का बनेगा एक्सपोर्ट प्लान
- टप्पल-बाजना में औद्योगिक शहर बसने को मंजूरी
- प्रदेश में आसानी से लग सकेंगे छोटे-मझोले उद्योग
- "एमएसएमई के संबंध में" श्री गोपाल अग्रवाल जी की कलम से
- घटे बिजली की दर, ख़त्म हो फिक्स व मिनिमम चार्ज
- "बिजली के संबंध में" श्री गोपाल अग्रवाल जी की कलम से
- नगर विकास की तीन ओर योजनाए जनहित गारंटी में
- अब चौबीस घंटे मिलेगी आरटीजीएस सुविधा
- पीएनबी एटीएम से नगद निकासी में बदलाव
- कर्ज लेने वाले तीन में से दो को नहीं पता सिबिल स्कोर
- डाकघर में 500 रूपये से काम रखने पर शुल्क
- क्यूआर कोड अनुपालन में कोताही पर सशर्त छूट
- श्रम मंत्रालय ने दिया रोजाना 12 घंटे काम का प्रस्ताव
- दो साल तक पीएफ भरेगी सरकार
- व्हाट्सएप पर आया ईपीएफओ
- एक जनवरी से प्रदेश में महंगी होगी वाहनों की प्रदुषण जांच

UP govt approves Ambitious Ganga Expressway project worth Rs 36,402 cr

The Uttar Pradesh government has approved an ambitious 594-km Ganga Expressway project worth Rs 36,402 crore running along the river from Haridwar to Allahabad.

The decision to build the expressway between the two cities on the riverbank while running through Meerut, Hapur, Bulandshahr, Amroha, Sambhal, Shahjahanpur, Hardoi, Unnao and Rae Bareli was taken in a UP Cabinet meeting chaired by Chief Minister Yogi Adityanath.

The Cabinet also approved a district-wise alignment of the Expressway, an official release said.

The government also decided to monetise the Agra-Lucknow Expressway for funding the ambitious Ganga Expressway project and decided to set up a high-power committee to take procedural and operational decisions to monetise the Agra-Lucknow Expressway.

For the implementation of the road project along the Ganga, it was decided that funds will be withdrawn from the treasury after the money raised from the monetisation of the Agra-Lucknow Expressway has been deposited.

The Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority too was asked to complete the preparatory operations for the project in time and approval was given to it to explore the option of Foreign Direct Investment (FDI) for it, the release added.

Additionally, the SBI Capital Market Limited too was nominated as the financial advisor for the project, it said.

In its meeting, the Cabinet also took a slew of decisions for the expeditious execution of the project. The decisions included the approval to the proposal to provide the

Gram Sabha land free of cost, purchasing and acquiring land, fixing the annual budget for the project and to take a loan from the Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO) for it.

In its statement, the government also said besides providing a smooth and fast traffic movement from Hardwar to Allahabad, almost parallel to the river Ganga, the expressway will also be helpful in the social and economic development of UP.

Additionally, the traffic coming through the waterway being built from Haldia to Varanasi will also be able to travel easily to Delhi and other states via Allahabad, the release pointed out.

UP cabinet approves export policy

The Uttar Pradesh government has formulated a comprehensive Uttar Pradesh Export Promotion Policy 2020-25. The policy was approved by the cabinet.

This is the first time that such an elaborate export policy has been formulated by the UP government.

The key focus areas of the Uttar Pradesh Export Promotion Policy 2020-25 include handicrafts, agriculture and processed food products, engineering goods, handloom and textile, leather products, carpets and rugs, glass and ceramic products, wood products, sports goods, defence products, services sector, education , tourism, information technology and information technology enabled services (IT & ITES), medical value travels and logistics.

The new export policy will be implemented by the UP Export Promotion Bureau.

The Uttar Pradesh Export Promotion Policy 2020-25 will adopt all those components which were not covered by the Uttar Pradesh Agricultural Promotion Policy for the purpose of doubling the income of farmers and promoting exports from the agricultural sector.

As per the policy, e-Haat portal will be developed for the sale and purchase of cattle. Provision of financial assistance has been made in the policy for the recruitment of specialised services by the exporting units related to food processing to ensure international quality.

The export policy also aims at availability of natural and human resources in the state and opportunities available in the international market, use of existing possibilities in the state, employment generation for youth, rapid growth in the direction of exports, export incentives, creation of incentive environment etc.

The aim of this policy is to promote development and competitiveness in the field of exports and to provide necessary export-related assistance and services to the export subsidiaries and establishments and development of technical and physical infrastructures to increase exports from the state.

Providing the necessary support for the development of the export potential of the country, identifying the opportunities available in the global market for products manufactured locally/indigenously in the country and encouraging capacity development by adopting best practices related to exports is another high point of this policy.

A detailed implementation strategy has been chalked out to achieve the objectives set out in the policy. It includes simplification of the export process under the implementation strategy, early disposal of export related forms of various departments of the state by reducing procedural formalities through a single window system and the role of coordinator by the Export Promotion Bureau in troubleshooting the problems of exporters, development and promotion of Make in UP and Make in India brands, cooperation in obtaining registrations of geographical indicators (GI) for exportable products.

Organising capacity development and training programmes of service providers, establishment of B2B exchanges so that medium and small entrepreneurs of the state are also able to take advantage of online trading facility, special provision to increase exports from service sector, exports and exporters in Uttar Pradesh

strategies such as creation of an analytical database, organising 'District Export Bandhu' meeting every quarter are some other features of the export policy.

The expenditure on facilities and other ancillary activities provided to eligible units under the export policy 2020-25 will be kept within the limit of the amount provided in the budget. Development of infrastructure facilities to be developed in cluster based special economic zones in each district of the state will be funded with the provisioned funds for UP Export Infrastructure Development Scheme.

One of the pivotal aims of the Export Policy 2020-25 is doubling the income of farmers and also increasing exports from the agricultural sector. The UP government announced the Uttar Pradesh Agricultural Export Promotion Policy, 2019 with the objective of promoting agro-based exports and doubling the income of farmers.

UP becoming first choice of foreign investors

In the unprecedented COVID-19 pandemic, when all the countries of the world are suffering from recession, Uttar Pradesh has become the first choice of foreign investors. During the COVID-19 period, 57 national and foreign companies have tied up with the UP government for investment of Rs 46,501 crore. It is estimated that after the start of production in these companies in the state, direct and indirect employment opportunities will be available to millions of people.

Chief Minister Yogi Adityanath started working on a strategy to bring back the lost status of Uttar Pradesh ever since he assumed power in the state. He first organised a national level Investors' Summit for domestic and foreign companies. This was followed by the first and second groundbreaking ceremonies. The result of this strategy of the chief minister is now noticeable on the surface.

Twenty-eight foreign companies have expressed intent to make an investment of Rs 9,357 crore in the state during the COVID-19 period. It has a German shoe making

company that has shifted from China to India and started production in Agra with an investment of 300 crore. Apart from this, 29 domestic companies have tied up to invest Rs 37,144 crore.

While two companies of Canada will be investing Rs 1,476 crore in UP, four companies of Germany will be investing Rs 300 crore. In addition, seven companies of Japan will be investing Rs 2000 crore, five companies of the United States of America will be investing Rs 309 crore, and four companies of Korea will be investing Rs 928 crore. Besides, three companies of the United Kingdom will be investing Rs 1,375 crore, two companies of Singapore will invest Rs 16,000 crore and one company of Hong Kong will be investing Rs 1,000 crore.

It may be mentioned that due to the various reforms in the labour laws and formulation of policies of various departments, UP has obtained second rank in ease of doing business and has become the first choice of entrepreneurs.

As many as 800 plots have been allotted to entrepreneurs during the COVID-19 times. In addition, a dedicated medical equipment park is proposed on 3.5 acre of land in Sector 28 along the Yamuna Expressway for which a MoU has been signed. The chief minister has also issued instructions for giving physical possession of land to the entrepreneurs within two months so that they can start production as soon as possible`

Single window clearance for investors by March end, will enable easy access to policymakers

The Narendra Modi government’s proposed single window clearance for investors should be ready by March end and will allow them easy access to policy makers at the central and state level, senior government officials said.

The window was mooted in this year's budget and was aimed at improving the ease of doing business for investors and attracting more investments into India.

Addressing the industry lobby group Confederation of Indian Industry, Finance Minister Nirmala Sitharaman said that the work on a single window clearance for investors is on.

"Effective unified single window will be made available to investors so that access to policymakers and regulators will be available," she said. Sitharaman assured the industry that the Modi government will continue with the reform momentum.

Speaking earlier at the same event, Guruprasad Mohapatra, secretary, department for promotion of industry and internal trade, said that the work on the window should be completed by March end.

"Through the portal, the investors can interact with all ministries of the government of India as well as the states," he said. "Through this, they can not only get information on status of approval but it will also enable faster approvals."

Centre planning mechanism to solve tax issues in real time: FM Sitharaman

The government is thinking of creating a mechanism to prevent tax issues from ballooning into disputes and settle disagreements on a "real-time basis".

"There should be a simultaneous tracking of disputes and if possible prevent tax matters from becoming disputes or if there are indeed disputes then settle them through a real-time kind mechanism," Finance Minister Nirmala Sitharaman said while replying to a question on tax matters.

She was addressing National MNC's Conference 2020, organised by the Confederation of Indian Industry (CII).

Citing the two schemes on resolving tax disputes launched by the government, the finance minister said: "We have made our intent clear, that's why we came up with two schemes — one was Sabka Vishwas (for cases pertaining to indirect taxes) and second is Vivad se Vishwas (for direct tax-related matters). But I understand that we need to have robust mechanisms, so as we go along, disputes can be resolved rather than wait for a day when we announce a scheme and say come back with pending litigation."

The concept, if it becomes effective, will allow taxpayers an opportunity to settle issues by paying the tax due instead of going in for litigation.

This could be done through mediation, where once the tax demand is finalised, assessees can be given an option to settle the matter and in exchange they may get an incentive like immunity from penalty and a waiver of interest on tax dues, said a tax expert.

The Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020, was enacted earlier this year with the government saying it aimed to reduce pending income tax litigation. The government has collected Rs 72,480 crore so far under the scheme, with over a month to go for the deadline.

A total of 45,855 individual declarations have been filed as of November 17 and declarations amounted to Rs 31,734 crore.

It's estimated that nearly 500,000 such cases are pending in different forums, including commissioners of appeal, tribunals, high courts, and the Supreme Court.

The Centre's rough estimate shows about Rs 10 trillion of tax revenue could be stuck in these judicial and other bodies.

Apart from this, Sitharaman also talked about the alternative dispute resolution mechanism — advance pricing agreements (APAs).

She said APAs were taking too long and should be expedited because it was creating a huge burden on multinationals' books.

"APAs can be expedited. Otherwise it defeats the very purpose and five years is definitely not acceptable," she said.

The APA scheme envisages an alternative dispute resolution on transfer pricing. The scheme helps in specifying the methods of pricing and setting prices of international transactions in advance.

However, the problem for companies is that applications on APAs are pending for too long.

The finance minister assured India Inc that the momentum of economic reforms would continue to make India a hot spot of global investment.

India has turned the crisis created by the pandemic into an opportunity to push economic reforms, which remained pending for decades, she said.

She said not just the MNCs but industry and the economy were undergoing a reset.

"We will have to make sure that policies are right to make India an attractive investment destination," she said.

The financial sector is being professionalised and the government will continue with disinvestment and privatisation, the minister added.

Furthering its reforms agenda, the government is setting up dedicated special manufacturing zones for pharma, medical devices, and active pharmaceutical ingredients in six states. An effective unified single window mechanism is part of these zones.

On reforms in taxation, the minister said the use of technology, such as faceless assessment, had eased tax filing and removed the scope for discretion. This will be the only way in which tax assessees will engage with the authorities, she said.

She added this faceless concept was gradually moving towards indirect taxation also.

Indian economy is gradually recovering: IMF

India's economy, severely affected by the coronavirus pandemic, is gradually recovering, the International Monetary Fund said.

India's economy recovered faster than expected in the September quarter as a pick-up in manufacturing helped GDP clock a lower contraction of 7.5 per cent and held out hopes for further improvement on better consumer demand.

"India has indeed been severely affected by the pandemic but is gradually recovering," IMF chief spokesperson Gerry Rice told reporters.

Fiscal, monetary, and financial sector measures announced to date provided much-needed support to the economy, including businesses, agriculture, and vulnerable households, Rice said in response to a question on the IMF's assessment of India's economy during the coronavirus pandemic.

"To further support growth, we believe the Indian authorities should prioritize swift implementation of the existing support programs and may need to consider expanding their scope, as warranted," Rice said.

Government makes it mandatory to mention 8-digit HSN Code in tax invoice for 49 chemical based products

The government has made it mandatory to mention 8-digit HSN or tariff code for 49 chemical based products while issuing Goods and Services Tax (GST) invoice, a move experts feel is aimed at curbing tax evasion. While notifying the HSN Code for these products, the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) said, "A registered person shall mention eight numbers of digits of HSN Codes in a tax invoice issued by him."

Currently, businesses mention up to 4-digit tariff code while issuing invoices.
In trade parlance, every product is categorised under an HSN (Harmonised System of Nomenclature) Code. It helps in systematic classification of goods across the globe.

AMRG & Associates Senior Partner Rajat Mohan said CBIC has notified every supplier of specified chemicals to mention 8 digits of HSN Code in every tax invoice issued by him for the said goods from December 1, 2020, irrespective of the scale of operations.

"This is the first notification of its kind whereby a specific category of suppliers are pushed to use 8 digits HSN Code on every invoice irrespective of the aggregate turnover. Although there is no reason for cornering the supplier of specified chemicals, it seems that it is carried out to break the fake invoicing ring," Mohan said.

EY Tax Partner Abhishek Jain said, "CBIC has mandated 8 digit HSN classifications for 49 chemical based products, to be mentioned at the time of issuing GST invoice, which was currently placed at 2 digits/4 digits depending upon turnover.

"Pursuant this, industry players dealing in these goods will have to undertake HSN classification at 8 digit level for their products along with requisite ERP (Enterprise Resource Planning) changes."

Chemicals industry needs to work together to tap global opportunities, say leaders

Mumbai, Nov 23 (PTI) COVID-19 presents opportunities to the domestic chemicals sector as the global trade is shifting in India''s favour and the industry needs to work together to tap this chance, industry leaders said.

"There''s an opportunity, there is a global trade which is shifting in India''s favours and Indian companies are pretty much well poised to take advantage of it. But for that we need strong regulatory standards and adherence to regulatory standards by the industry," Tata Chemicals Managing Director and CEO R Mukundan said at CII''s virtual panel discussion on ''Indian Chemicals and Petrochemicals Conference (ICPC) 2020''.

"All of us need to comply with the highest level of standards. It must spread more widely than the top 100-200 companies. We need to make the process much wider and more democratised in many ways," Mukundan said.

He further said that many of the Indian companies, barring a few, don't have global scale plans.

"If you have to play a part in the gaps, you need risk capital and we need global scale plans. I think that will be very critical," he said.

Grasim Industries Chemical Division CEO Jayant Dua stated that there is a need to look at the global chemical parks and the renewable policy.

"I think clearly there is merit in having chemical parks, next to a coastal area, for deep sea pipelines. Also, we need to focus on renewable as 65 per cent of our industry''s input cost is power. There is still a need to work on alignment cross state so that renewable power flows without having state specific legislation," he opined.

The industry, he said, needs to work on collaboration because molecules, the more complex molecules, will come under IPR and there is an India potential over there.

"We also need to work about stricter compliance laws, particularly on toxicity of material," he added.

UPL chairman Rajju Shroff said the industry needs policy support in order to grow, both in the domestic as well as the global market.

He also stated that India"s dependency on imported intermediate will soon be over as the country will begin producing its own.

"We are dependent on imported intermediate from China, but within one or two years, there are big plans and Indian companies will be able to make intermediate in the country," he added.

Shroff further stated that the Environment Ministry needs to work with the industry in finding solutions which will benefit the ecology.

"The Environment Ministry need not only fine the industries. The Ministry needs to work with the industry and find solutions for safe dispositions waste so that the ecology is not affected," he added.

Panel wants Government to take ESI Hospitals

The parliamentary standing committee on labour on Tuesday asked the government to consider a "policy change" through which the Union government and Employees State Insurance Corporation (ESIC) could take control of large state-run ESI hospitals in order to ensure better service delivery to those insured.

The committee, which was examining the functioning of ESIC hospitals, said while state governments, during first and second Five-Year Plan periods in the 1950s and 60s, had invested heavily in health and education sectors, the union government, in subsequent years, ramped up investment in social service sectors. Emphasising that policy change needed to reflect this, committee members said this was important

because many states were not provinding facilites to workers as prescribed under the ESIC guidelines.

ESI has a network of 159 hospitals, 49 run by ESIC and 110 run by state governments. Additionally, there is a network of 47 ESIC-run dispensaries and 1453 state-run ESI dispensaries.

RBI Monetary Policy:
RBI ने कहा- अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा बेहतर, -7.5 फीसदी रह सकती है जीडीपी ग्रोथ

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों का ऐलान हो गया है। इस बैठक के नतीजों के मुताबिक आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है।

आरबीआई ने रेपो रेट 4 फीसदी पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट भी 3.35 फीसदी पर रखी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के नतीजों का ऐलान हो गया है। इस बैठक के नतीजों के मुताबिक आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट भी जस की तस रखी गई है। आरबीआई ने रेपो रेट 4 फीसदी पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट भी 3.35 फीसदी पर रखी गई है। यह लगातार तीसरी बार है, जब आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके अलावा इस साल जीडीपी ग्रोथ -7.5% रहने का अनुमान जताया गया है।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2021 के लिए वास्तविक जीडीपी ग्रोथ -7.5% अनुमानित है। दास ने कहा कि ग्रामीण और शहरी मांग में सुधार देखने को मिल रहा है। ग्रामीण मांग में सुधार से और मजबूती मिलने की उम्मीद है जबकि शहरी मांग भी गति पकड़ रही है।

शक्तिकांत दास ने कहा है कि MPC ने मौद्रिक नीति के समायोजन के रुख को तब तक जारी रखने का फैसला किया, जब तक कम से कम चालू वित्त वर्ष तक और अगले साल तक टिकाऊ आधार पर विकास को पुनर्जीवित न कर लिया जाए और मुद्रास्फीति के लक्ष्य को सुनिश्चित करते हुए कोविड-19 के प्रभाव को कम न कर लिया जाए।

जीएसटी फॉर्म 26 एएस में दिखाए टर्नओवर पर नहीं देनी होगी अतिरिक्त जानकारी

सरकार ने कारोबारियों को बड़ी रहत देते हुए फॉर्म 26 एएस पर स्पस्टीकरण जारी किया है। राजस्व विभाग ने बताया कि फॉर्म 26 एएस में दिखाए गए टर्नओवर पर जीएसटी अनुपालन का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। इसमें दिया गया विवरण सिर्फ करदाता की जानकारी के लिए होता है।

राजस्व विभाग ने कहा कि कारोबारियों की ओर से दाखिल किये गए जीएसटीआर 3-बी फॉर्म और फॉर्म 26 एएस में दिखाए गए जीएसटी में कुछ अंतर हो सकता है। बावजूद इसके ऐसा संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति करोड़ो रूपये का जीएसटी टर्नओवर दिखाए और आयकर एक पैसा भी न दे। पिछले दिनों आकड़ो के विश्लेषण से ऐसे मामलो का पता चला है। इसी बीच, सोशल मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट आणि शुरू हो गई थी कि करदाताओं को आयकर रिटर्न में दिखाए टर्नओवर को फॉर्म 26 एएस में अपलोड

किये टर्नओवर से मिलान करना होगा। इससे करदाताओं पर अनुपालन का बोझ बाद जाएगा। विभाग ने इन अटकलों को ख़ारिज करते हुए कहा है कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और 26 एएस का विवरण सिर्फ करदाताओं की जानकारी के लिए है।

टैक्स नहीं बनने पर तीन महीने तक कर जमा करने से छूट

व्यापारियों की सुविधा के लिए जीएसटी कॉउन्सिल ने 1 जनवरी 2021 से तिमाही रिटर्न भरने की व्यवस्था लागू कर दी है। इसके लिए जीएसटी पोर्टल पर विकल्प भी मुहैया करा दिया गया है। इस विकल्प को भरने पर ही कारोबारियों को इस नई सुविधा का लाभ मिलेगा। खास यह कि अगर तिमाही रिटर्न भरने के बीच के दो महीनो में व्यापारी का जमा करने योग्य टैक्स नहीं बनेगा तो उन्हें तीन माह तक कर जमा करने से छूट रहेगी। तीसरे माह रिटर्न के साथ टैक्स भी जमा करना होगा।

अभी तक जीएसटीआर 3-बी रिटर्न सभी व्यापारियों को मासिक जमा करना पड़ता है। जबकि डेढ़ करोड़ रूपये तक सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को तिमाही रिटर्न जीएसटीआर-1 और डेढ़ करोड़ से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को मासिक रिटर्न जीएसटीआर-1 अलग जमा करना होता है। लेकिन, अगले महीने से पांच करोड़ रूपये तक सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए इन दोनों तरह के रिटर्न से छुटकारा दिलाते हुए काउंसिल ने तिमाही रिटर्न दाखिल करने व्यवस्था लागू कर दी है। बिक्री का बिल हर महीने पोर्टल पर अपलोड करना होगा। हालांकि, यह व्यवस्था स्वैच्छिक है। मगर, जिस व्यापारी को इस व्यवस्था का लाभ लेना है, उसे विकल्प भरना होगा। अगर विकल्प भरेंगे तो उन्हें तिमाही रिटर्न भरने की सुविधा मिल जाएगी।

ई-वे बिल के लिए रिटर्न फाइलिंग अनिवार्य

पहली दिसम्बर से सभी कारोबारियों को ई-वे बिल तभी मिल सकेगा, जब समय पर रिटर्न फाइल केर दिया जाएगा। इसके लिए जीएसटी नेटवर्क एक स्वचालित व्यवस्था शुरू करेगा। इसके तहत मासिक जीएसटी रिटर्न का फॉर्म जीएसटीआर-3बी नहीं भरने वाले कारोबारी ई-वे बिल नहीं जनरेट कर पाएंगे।

ई-वे बिल नहीं जनरेट होने से कारोबारी अपना सामान एक से दूसरी जगह नहीं भेज सकेंगे। 50 हजार रूपये से ज्यादा का सामान कहि भेजने के लिए ई-बिल जरुरी होता है। ई-वे बिल के लिए अनिवार्य रिटर्न की व्यवस्था को पिछले महीने पांच करोड़ रूपये से ऊपर के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए लागू किया गया था। अब जीएसटी के दायरे में आने वाले सभी छोटे-बड़े कारोबारियों पर यह लागू होगा। दिसम्बर से उन्ही कारोबारियों को ई-वे बिल जारी किया जाएगा, जिन्होंने अक्टूबर तक का जीएसटीआर-3बी व जुलाई से सितम्बर तिमाही का फॉर्म सीएमपी-08 भरा होगा।

एक दिसम्बर से ई-वे बिल जनरेट करने का नियम लागू

एक दिसम्बर से ई-वे बिल के लिए नए नियम लागू हो गए है। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में ढिलाई बरतने वाले कारोबारियों के लिए ई-वे बिल का नया नियम महंगा साबित हो सकता है। इसके मुताबिक दो या इससे अधिक बार तक जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले कारोबारी पहली दिसम्बर से ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। दूसरे राज्यों में 50000 रुपयों से अधिक का माल भेजने के लिए ई-वे बिल जनरेट करना जरुरी होता है। पहली जनवरी 2021 से जीएसटीआर-३बी दाखिल करने का नियम भी बदलने जा रहा है। पहली जनवरी से कारोबारियों को जीएसटीआर-३बी की प्रतिमाह की जगह तीन माह में एक बार दाखिल करना होगा।

जीएसटी विशेषज्ञों ने बताया कि पहली दिसम्बर से ई-वे बिल का नया नियम पांच करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों पर लागू होगा। इन कारोबारियों ने अगर इस साल अक्टूबर तक दो या इससे अधिक बार जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया है, तो उनका ई-वे बिल 1 दिसम्बर से ब्लॉक हो जाएगा। जीएसटी मामले के विशेषज्ञ एवं चार्टेड अकाउंटेंट मनीष शर्मा ने बताया कि ई-वे बिल के ब्लॉक होने पर कारोबारियो को पहले अपना बकाया रिटर्न दाखिल करना होगा। उसके बाद वे फिर से ई-वे बिल जनरेट कर सकेंगे। ई-वे बिल प्रणाली ब्लॉक होने पर कारोबारी एक लाख रूपये के माल का एक बिल न बनाकर 45-45 हजार के दो बिल और 5000 का एक बिल बनाकर माल को दूसरे राज्यों में भेज पाएंगे।

अब एकमुश्त पांच साल के लिए जारी होंगे ट्रेड लाइसेंस

ट्रेड लाइसेंस के लिए उद्यमियों को अब हर साल नगर निकायों का चक्कर लगाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। उनको अब एक साथ कम से कम तीन और अधिकतम पांच साल तक के लिए ऑनलाइन लाइसेंस जारी किये जाएंगे। उद्यमियों की सहूलियत के लिए ट्रेड लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाया गया है। यही नहीं उनको लाइसेंस का नवीनीकरण करने के लिए अब हर साल भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए भी ऑटो रिन्यूअल मॉडल विकसित किया गया है।

केंद्रीय उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा तैयार किये 'बिज़नेस रिफार्म एक्शन प्लान-2020' में ट्रेड लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था को ओर सरल करने के साथ ही दीर्घकालीन लाइसेंस जारी करने की संस्तुति की गई है।

ग्राहकों से ज्यादा वसूली की तो रद्द होगा वाहन विक्रेताओं का ट्रेड सर्टिफिकेट

वाहन बेचते समय वाहन विक्रेता ग्राहकों से हैंडलिंग एवं लॉजिस्टिक के रूप में अतिरिक्त धन की उगाही कर रहे है। ऐसी शिकायतों का परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने संज्ञान लिया है। उन्होंने विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि अगर उगाही बंद नहीं हुई तो उनका ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में उन्होंने सभी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी किया है।

वाहन उन्होंने बताया कि वाहन निर्माता होमलोगेशन पोर्टल पर वाहन का मूल्य अंकित करते है और इसी मूल्य पर परिवहन विभाग टैक्स लगता है, लिहाजा पोर्टल मूल्य ही वाहन असल मूल्य है। वाहन विक्रेता सही मूल्य ही ग्राहकों से लें।

यह सुविधा उन उद्यमियों को ही दीर्घकालीन अवधि के लाइसेंस जारी किये जाएंगे, जो एकमुश्त लाइसेंस शुल्क जमा करेंगे। अन्यथा उद्यमी द्वारा हर साल नियमित तौर पर लाइसेंस शुल्क जमा करने पर ही लाइसेंस की अवधि बढ़ेगी।

अब हर उत्पाद का बनेगा एक्सपोर्ट प्लान

जिले में खेल उपकरणों सहित विभिन्न क्षेत्रो में निर्यात वृद्धि की संभावनाएं तलाशने के लिए न्य निर्यात प्लान तैयार होगा। निर्यात को विस्तार देने के बिन्दुओ पर चर्चा के लिए बचत भवन में जिला स्तरीय एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी की बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जिले में एक उपसमिति बनेगी। इसमें विविध क्षेत्रो के निर्यातकों को शामिल किया जाएगा।

सीडीओ ईशा दुहन ने कहा कि 15 नवंबर तक जिले के हर उत्पाद का निर्यात प्लान बने। मेरठ में खेल उपकरणों के अलावा कागज़, कालीन, फ़ूड आयटम, धागा, कैंची, सोना और मोती आयटम सभी के निर्यात के लिए निर्यात योजना तैयार होगी।

संयुक्त निदेशक डीजीएफटी रमेश वर्मा ने बताया कि इस वर्ष यूके को सर्वाधिक निर्यात व चेक रिपब्लिक से सर्वाधिक आयात हुआ है। सालभर के भीतर उद्योगों को भूमि भी उपलब्ध होने लगेगी। उद्यमी सुमनेश अग्रवाल ने निर्यातकों को आ रही जमीन की समस्या, जीएसटी रिफंड न मिलना, कंटेनर की अनुपलब्धता व अधिक किराये के बारे में बताया।

टप्पल-बाजना में औद्योगिक शहर बसाने को मंजूरी

यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे टप्पल-बाजना में एक ओर औद्योगिक शहर बसाएगा। यमुना प्राधिकरण के इस नए शहर के मास्टर प्लान पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मोहर लगा दी है। यह शहर 11104 हेक्टेयर में बसाया जाएगा। टप्पल बाजना अर्बन सेंटर के नाम से बसने वाले इस शहर में लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग कलस्टर बनाया जाएगा। यमुना प्राधिकरण अब इस शहर की डीपीआर बनवाएगा।

यमुना प्राधिकरण के अंतरगर्त 6 जिले आते है। प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे है। जेवर में एयरपोर्ट पर मुहर लगने के बाद अब यहां नए शहर बसाने की जरुरत हो रही है। इसके लिए यमुना प्राधिकरण ने अपनी योजना को मूर्त रूप देना शुरू कर दिया है।

प्रदेश में आसानी से लग सकेंगे छोटे-मझोले उद्योग

प्रदेश सरकार ने औद्योगीकरण को बढ़ावा और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया आसान कर दी है। उद्यमियों को जरुरी प्रक्रिया पूरी करने के

लिए भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही लघु उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। निवेशकों और उद्यमियों को उद्योग स्थापना में आसानी ही, इसके लिए उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2020 के क्रियान्वन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और उपायुक्त उद्योग स्थापना में हर संभव मदद के लिए तैयार रहते है।

एमएसएमई के नए उद्यम व विस्तरीकरण के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र के लिए उद्यमियों को जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में आवेदन पत्र जमा करने होंगे। आवेदनों के त्वरित निस्तारण के लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आठ सदस्य समिति का गठन किया गया है। समिति में सम्बंधित उपजिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अधिशासी अभियंता विद्युत निगम, उप या सहायक श्रमायुक्त, क्षेत्रीय प्रबंधक राज्य औद्योगिक विकास निगम, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा निदेशालय और जिला अग्निशमन अधिकारी इसके सदस्य होंगे। उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र समिति के सदस्य सचिव होंगे।

"एमएसएमई के संबंध में" श्री गोपाल अग्रवाल जी की कलम से

गंगा किनारे एक करोड़ दियों में इतना प्रकाश नहीं कि भटके पथिक को रास्ता दिखा दें परंतु गांव की झोपड़ी का दिया भटकों को रात गुजारने की आस देता है।

भारत की जीडीपी का दिया एमएसएमई है। कुल 4 करोड़ 34 लाख यूनिट में 51% गांवों में हैं जिनमें ज्यादातर को परिवार का अकेला या दो सदस्य चला रहे हैं। हमारी ग्रामीणोन्मुख अर्थव्यवस्था का आधार गांव का यही सूक्ष्म या कुटीर उद्योगी है। 11 करोड़ रोजगार के साथ यह कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार सृर्जन का क्षेत्र है। इससे भी अच्छी बात है कि 55% यानी 6 करोड़ 45 लाख यूनिटें गांवों में तथा 45% यानी 4 करोड़ 95 लाख यूनिटें शहरी

क्षेत्रों में रोजगार का माध्यम बनी हुई हैं। स्वयंरोजगार के क्षेत्र में भी यह बड़ा उदाहरण हैं क्योंकि 99.5% अर्थात अधिकांश एकल अथवा दो व्यक्तियों द्वारा संचालित सूक्ष्म उद्योग हैं जो शहर ओर ग्रामीण क्षेत्रों में बराबर संख्या में हैं। इन पर आरक्षण की नीति लागू न होने के बावजूद 66% आरक्षित वर्ग की भागीदारी है।

इतनी सकारात्मक तथ्यता के बावजूद एमएसएमई को सरकारी संरक्षण का वांछित दर्जा नहीं है। जिस प्रकार एक करोड़ मछली मिलकर भी व्हेल से नहीं लड़ सकती, वह सभी को निकल जाएगी। इन एक करोड़ मछलियों को व्हेल से दूर प्रजनन कराया जाए तो करोड़ों लोगों को भोजन मिल जाएगा। इसी प्रकार चालीस करोड़ सूक्ष्म व लघु उद्योगों के उत्पादों को संरक्षित कर बड़े उद्योगपतियों के यहाँ उन् वस्तुओं के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने से एमएसएमई की गति तेज हो जाएगी जिसका सीधा असर मार्केट की रौनक पर पड़ेगा। घरेलू कारीगरी अथवा सीमित संसाधनों से जिन चीजों का उत्पादन हो सकता है उन्हें सूक्ष्म व लघु उद्योगों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। पापड़, साबुन, मंजन आदि इसके बेहतर उदाहरण हैं। इस प्रकार रोजमर्रा के कोई चार सौ आइटम है जो इस वर्ग में आरक्षित हो सकते हैं। बाकी के 4.30 करोड़ एमएसएमई की मध्यम श्रेणी के लिए पृथक आरक्षित उत्पादों की सूची बनाई जा सकती है। एमएसएमई के प्रारंभिक गठन के समय मशीनरी की लागत पर पूंजी की लाइन डालने का उद्देश्य तत्कालीन शासकों के लिए यही रहा होगा।

सन 2019 में चुनाव से पूर्व भाजपा सरकार ने घोषित किया था की 50 लाख तक का कर्ज बिना गारंटी के दिलवा देंगे परंतु इसका फलीभूत होना अधर में है तथा असम्भव है। जरूरत इस बात की है कि एमएससी के लिए खासतौर से उन इकाइयों को जो एक या दो व्यक्तियों के द्वारा संचालित की जा रही हैं, वित्तीय संस्थानों से पूंजी की उपलब्धता को सुगम बनाया जाए।

सन् 2009 में अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी की रिपोर्ट को देखें तो बहुत आसानी से बात समझ आती है कि जब बड़े उद्योगों को पूंजी की उपलब्धता बढाई गई तो उन्होंने अपने प्लांट को

अपग्रेड करने में उसका उपयोग किया जिससे बेरोजगारी बढ़ी। एमएसएमई के साथ यह नहीं है। यहां अधिक पूंजी उपलब्ध कराने का अर्थ अधिक उत्पादन है। अधिक उत्पादन से सरकार को राजस्व और बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। साथ ही साथ मार्केट के पहियों की रफ्तार भी तेज होती है और यह चक्र अर्थव्यवस्था की गति को घर्षण रहित अवस्था में स्थापित कर देगा ।

जनधन खातों में कांग्रेस करीब 14 करोड़ की संख्या तक पहुंची थी। इन्हें 40.30 करोड़ तक पहुंचाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है। इन खातों में 1.31 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं। अत्यंत गरीबों से एकत्रित इस राशि को वापस कुटीर उद्योगों को के लिए आरक्षित कर दिया जाता तो छोटी चिड़ियों को अर्थव्यवस्था के आकाश में ऊंचा उड़ने का हौसला मिलता ।

घटे बिजली की दर, ख़त्म हो फिक्स व मिनिमम चार्ज

यह तो पहले ही तय हो चुका है कि अबकी बिजली की दर नहीं बढ़ेगी, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए इससे भी अधिक राहत यह हो सकती है कि मौजूदा बिजली दरो को भी घटा दिया जाए। यह महज ख्वाहिश नहीं, बल्कि राज्य विधुत उपभोक्ता परिषद द्वारा विद्युत नियामक आयोग को सुझाया गया वह फार्मूला है, जिसके जरिये बिजली विभाग अपने ऊपर चढ़ी उपभोक्ताओं की 20 हजार करोड़ रूपये की देनदारी उतार सकता है।

बिजली दरों को लेकर उपभोक्ता परिषद् ने नियामक आयोग में लोक महत्व पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। इसमें घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ज सहित वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के मिनिमम चार्ज को समाप्त करते हुए प्रदेश के तीन करोड़ उपभोक्ताओं को अगले तीन वर्षो तक सात फीसदी रेग्युलरेटरी लाभ देने की मांग उठाई है। बुधवार को परिषद द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया

कि विद्युत अधिनियम 2003 के मुताबिक बिजली बिजली उपभोक्ताओं के अब तक बिजली कंपनियों पर कुल 19535 करोड़ रूपये निकल रहे है।

आयोग के सचिव संजय कुमार सिंह को सौंपी याचिका में कहा गया कि पूर्व में उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 13337 करोड़ रूपये निकला था। उस पर वर्ष 2018-19 से अब तक केयरिंग कॉस्ट 12 फीसदी के अनुसार लगभग 5400 करोड़ ब्याज बनेगा। वर्ष 2020-21 में भी उपभोक्ताओं का लगभग 800 करोड़ रूपये निकला है। इस प्रकार उपभोक्ताओं को कुल 19535 करोड़ रूपये का लाभ मिलना उनका सामवाधिनिक अधिकार है। परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने प्रस्ताव में कहा है कि इस पूरी रकम का लाभ एक साथ उपभोक्ताओं को देने से बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए इसका लाभ अगले तीन वर्षो में उपभोक्ताओं को मिले। प्रस्ताव के मुताबिक समायोजन तब ही संभव होगा, जब तीन वर्षो तक प्रदेश के घरेलु ग्रामीण, शहरी उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ज को पूर्णयता समाप्त किया जाए।

“बिजली के संबंध में”श्री गोपाल अग्रवाल जी की कलम से

किसी जुगनू की तरह मुझे उड़ जाने दो
घने अंधेरे में जरा रोशनी तो फैलाने दो

बीसवीं सदी में यह काम बिजली ने लिया, रोशनी की आवश्यकता आदिकाल से रही है। पाषाण काल, पत्थरों को रगड़ने से पैदा हुई आग को रोशनी के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। बीसवीं शताब्दी में बिजली प्रकाश प्रबंध का अनिवार्य हिस्सा बन गई तथा लगातार सरकारों के सामने प्रत्येक गांव में आबादी के अंतिम छोर तक बिजली पहुंचाना पंचवर्षीय योजनाओं का आवश्यक अंग बना।

शुरुआत में बिजली उत्पादन में प्राइवेट कंपनियां ही आयीं परंतु अब 80% उत्पादन सरकारी क्षेत्र में है। मांग के अनुसार उत्पादन बढ़ाने की अभी भी जरूरत है। बेहतर होगा कि बिजली बचाने के लिए नागरिकों के बीच जागरूकता अभियान निरन्तर चले। बिजली को समाज की वास्तविक आवश्यकता मानकर सरकार को इसके वितरण को व्यापार के समकक्ष न रख, सामाजिक बंदोबस्त के उत्तरदायित्व के अधीन रखना चाहिए अर्थात बिजली को नफा-नुकसान का उपक्रम नहीं माना जाना चाहिए। जाहिर है, कम आय वर्ग के लिए न्यूनतम आवश्यकता तक सस्ती तथा अधिक उपभोग करने वालों को उससे उच्च दर पर सप्लाई की जाए। एक सामान्य कमरे में 20 वाट का एलइडी तथा एक पंखा जरूरत मानकर योजना तय हो। दिल्ली प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कुछ प्रयास किया है। जरूरी नहीं कि दिल्ली मॉडल सभी राज्य सरकारें अपनाए, किन्तु मूल्य तार्किक हो।

उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली की दरें 150-150 यूनिटों के साथ वर्तमान में 50 पैसे प्रति यूनिट के स्लैब में बढ़ती हैं, जो Rs. 5.50 से Rs. 7.00 प्रति यूनिट तक पहुंचती हैं। बाणिज्य कनैक्शन में पहले 300 यूनिट पर Rs. 7.50, 301 से 1000 यूनिट तक Rs. 8.40 व इससे अधिक पर Rs. 8.75 की दर लागू होती है। इसके अतिरिक्त घरेलू बिजली पर Rs. 110.00 प्रति किलो वाट स्थाई चार्ज तथा वाणिज्य में दो-दो किलो वाट पर Rs. 330.00, Rs. 390.00 व Rs. 450.00 हैं। बिल राशि पर 5% व 7% विद्युत शुल्क का अतिरिक्त प्रभार है। वाणिज्य वर्ग में सर्वाधिक आपत्ति न्यूनतम शुल्क पर है क्योंकि उपभोग न होने के बावजूद आवंटित लोड पर न्यूनतम बिल अवश्य आता है। इसका दुष्परिणाम है कि उपभोक्ता न्यूनतम शुल्क तक बिजली खर्च करने को स्वभाविक रूप से उकसित हो जाता है। यह बिजली बचत के विपरीत नियत बनाता है। लॉकडाउन में सर्वाधिक असंतोष तीन महीने प्रतिष्ठान पूर्णतया बंद होने के बावजूद बाणिज्य उपभोक्ताओं को न्यूनतम शुल्क के कारण सामान्य की तरह बिजली बिल मिलने पर रहा।

इलेक्ट्रिसिटी सेविंग मैनेजमेंट को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रदेश सरकार को बिल के साथ सभी स्लैबों की दरों का उल्लेख करना चाहिए। अभी तक कंसोलिडेटेड बिल आने के कारण उपभोक्ता यह जांच ही नहीं पाता कि वह मामूली खपत कम कर निचले स्तर के स्लैब में आ जाएगा जो बिजली बचाने के लिए बड़ी पहल होगी।

विगत 100 वर्षों के संघर्ष के बाद विश्व को उपभोक्ता हितार्थ अधिकार प्राप्त हुए जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण दर को जानने का अधिकार है। उपभोक्ताओं द्वारा यह आपत्ति लगातार दर्ज कराई जाती रही है कि बिजली बिल पर दरों का उल्लेख न होने से उनके संरक्षित नागरिक अधिकार का उल्लंघन है परंतु सरकार ने इस ओर कान बंद किए हुए हैं जबकि यह सरकार के फायदे की बात है।

पूर्व में बिजली उत्पादन व वितरण में निजी कंपनियों के एकाधिकार से उत्पन्न जन-असंतोष के कारण सरकार ने उत्पादन व वितरण अपने हाथ में लिया जिससे सेवा को गुणवत्ता के साथ अनुशासित व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाए परंतु अब सरकारी लापरवाही परिलक्षित हो रही है। मीटर फास्ट की शिकायतें आम हैं। बिल बनाने में लापरवाही की सीमा टूट चुकी है। विद्युत सप्लाई कोड में 30 दिन की रीडिंग लेकर बिल बनाने का प्राविधान होने के उपरांत भी 15 से 45 दिन तक के अव्यवस्थित बिल बन रहे हैं जो उपभोक्ताओं की पॉकिट पर सीधा कुठाराघात है।

बार-बार यह ध्यान दिलाया जाना अर्थहीन हो गया है कि विद्युत राज्य के सेवा क्षेत्र में है। इसके मूल्य में प्रतिवर्ष वृद्धि अनुचित है फिर भी चुनावी वर्ष को छोड़ प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है तथा दरें अनुमानित 12% की छलांग के साथ आगे बढ़ रही हैं। सर्वाधिक विरोध ग्रामीण क्षेत्र में की जा रही मूल्य वृद्धि का है। यह कृषि आधारित अर्थ शास्त्र के विरुद्ध है। कृषि, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म व लघु उद्योगों को बिजली सस्ती देने से जीडीपी का सीधा रिश्ता है। सस्ता माल बाजार को गति देता है तथा अलाभकारी होती कृषि को सहारा देना राज्य के उत्तरदायित्व का भाग होना चाहिए। आम जनता के मन में शंका उठ रही है कि क्या दो दुधारू पशु रखने मात्र से बिजली का भुगतान बाणिज्य के दायरे में लाना हास्यप्रद नहीं होगा?

जहां-जहां वितरण निजी क्षेत्र में आवंटित किया जा रहा है वहां की स्थिति अधिक चिंताजनक हो रही है। निजी कंपनियां ठेका लाभ कमाने के उद्देश्य से ही लेती हैं जो सरकार के सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के विपरीत है तथा इसे नितांत अविवेकपूर्ण इसलिए भी कहा जाता है कि निजी कंपनियों के साथ तमाम सरकारी इंजीनियरों व अधीनस्थ कर्मचारियों का अमला 'ज्यूं का त्यूं' रह कर खर्च में कटौती नहीं करता।
देखना यही है कि सरकार बिजली का व्यापार छोड़, रोशनी फ़ैलाने के मूल उत्तरदायित्व की और कब लौटती है?

नगर विकास की तीन ओर योजनाए जनहित गारंटी में

प्रदेश सरकार ने नगर विकास विभाग की तीन ओर सेवाओं को जनहित गारंटी अधिनियम में शामिल कर लिया है। इनमे साइनेज लाइसेंस, खाद्य व्यापार के राज्य लाइसेंस के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र व

भूगर्भ जल के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र शामिल है। जनहित गारंटी अधिनियम के तहत अब आवेदकों को नगरीय निकायों से 30 दिन में लाइसेंस व एनओसी मिल जायेगी। उन्हें इसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

योगी सरकार ने जनहित गारंटी अधिनियम 2011 में संशोधन किया है। पांच विभागों की 14 ओर सेवाएं जनहित गारंटी अधिनियम के दायरे में लायी गयी है। इसी के तहत नगर विकास विभाग की तीन ओर सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है। नगरीय निकायों से मिलने वाले साइनेज लाइसेंस की समय किया गया है। नगरीय निकायों से मिलने वाले साइनेज लाइसेंस की समय सीमा ३० दिन कर दी गयी है। यदि इसमें लाइसेंस नहीं बनता है तो आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास जाएंगे। प्रथम अपील २० दिनों में निस्तारित करनी होगी। इसके बाद भी लाइसेंस न बना तो दूसरी अपील होगी।

खाद्य व्यापार के राज्य लाइसेंस के लिए जरुरी अनापत्ति प्रमाण व भूगर्भ जल निकालने के लिए भी अनापत्ति प्रमाण भी अब ३० दिनों में आवेदक को मिल जाएंगे। प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार ने सभी नगरीय निकायों को इसके आदेश भेज दिए है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाये। आवेदक को तय समय से पहले ही लाइसेंस व अनापति प्रमाणपत्र मिल जाना चाहिए।

अब चौबीस घंटे मिलेगी आरटीजीएस सुविधा

बैंको ने एनइएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर) की सेवा चौबीस घंटे करने के बाद अब पहली दिसम्बर से आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) की सुविधा भी 24 घंटे करने का निर्णय लिया है। पहले दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर सभी कामकाजी दिनों में सुभे सात बजे से लेकर शाम छ बजे तक आरटीजीएस की मदत से फण्ड ट्रांसफर किया जाता था।

पीएनबी एटीएम से नगद निकासी में बदलाव

पीएनबी एटीएम से पैसे निकालने की व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। 1 दिसम्बर से रात आठ बजे से सुबह आठ बजे के बीच वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित नगद निकासी की व्यवस्था होगी। नियम के तहत बैंक के एटीएम में 10 हजार रूपये से ज्यादा निकलने पर ओटीपी आवश्यकता होगी।

कर्ज लेने वाले तीन में से दो को नहीं पता सिबिल स्कोर

क्या है सिबिल स्कोर

यह तीन अंको की एक संख्या है, जिसके आधार पर एक रिपोर्ट बनायीं जाती है। रिपोर्ट में ऋण, रोजगार और आय जैसी सूचनाएं होती है। यदि आपको बैंक से लोन चाहिए तो यह आपके सिबिल स्कोर पर निर्भर करता है। इसका स्कोर 300 से 900 के मध्य होता है। स्कोर जितना ज्यादा होता है, लोन मिलने की सम्भावना उतनी अधिक होती है।

ऐसे जाने सिबिल स्कोर

www.cibil.com पर जाए। गेट योर सिबिल स्कोर पर क्लिक करे। यह आपको सब्सक्रिप्शन वाले पेज पर ले जाएगा। वहा आपको ईमेल-आईडी, नाम आदि दर्ज करना होगा। पुष्टि के लिए मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज करना होगा। इसके बाद आपका एनरोलमेंट दिखाते हुए एक नई विंडो खुलेगी। इसके बाद क्रेडिट स्कोर का पता करने के लिए जो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करे। वहा से आपको वह myscore.cibil.com पर ले जाएगा, जहा आप अपना सिबिल स्कोर देख सकते है।

डाकघर में 500 रूपये से काम रखने पर शुल्क

डाक घर के बचत खाते में ग्राहकों कम से कम 500 रूपये रखना अनिवार्य होगा। नया नियम आगामी 12 दिसम्बर से लागू होगा।

बचत खाते में 500 रूपये नहीं रखने वाले खाताधारकों से शुल्क लिया जाएगा। वर्तमान में डाक घर बचत खाते के तहत सिर्फ चेकबुक सुविधा लेने वाले खाताधारकों की 500 रूपये न्यूनतम बैलेंस रखना होता है। जिनके पास चेकबुक नहीं है, वे 50 रूपये का बैलेंस रख सकते है।

डाक विभाग की तरफ से दी गयी जानकारी के मुताबिक 11 दिसम्बर, २०२० के बाद सभी बचत खाते में कम से कम 500 रूपये होने चाहिए। जिन खाताधारकों के खाते में 500 रूपये से कम राशि है, वे 11 दिसम्बर तक अपने खाते में कम से कम ५०० रूपये की राशि सुनिश्चित कर ले। अन्यथा वित्तवर्ष के अंत में खाते के रखरखाव के नाम पर 100 रूपये काट जाएंगे। अगर बचत खाते में जमा रकम शून्य हो जाता है तो वह खाता बंद हो जाएगा।

क्यूआर कोड अनुपालन में कोताही पर सशर्त छूट

सरकार ने कंपनियों से ग्राहकों (बी टू सी) के बीच लेन-देन से जुड़े बिलो के मामले में क्यूआर कोड प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर जुरमाना नहीं लगाए जाने से छूट प्रदान की है। यह छूट 31 मार्च, 2021 तक के लिए सृजित बिलो को लेकर दी गई है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने 29 नवंबर को जारी अधिसूचना में कहा कि कंपनियों के जुर्माने से छूट लेने के लिए एक अप्रैल, 2021 से क्यूआर कोड प्रावधानों को अनुपालन करना अनिवार्य होगा। बी टू सी बिलो पर क्यूआर कोड प्रकाशित करने की व्यवस्था दिसम्बर से लागू की गई है। क्विक रिस्पांस कोड से उपयोगकर्ताओं का डिजिटल हस्ताक्षर ई-बिलो में ब्योरे को सत्यापित करने में मदद मिलती है।

श्रम मंत्रालय ने दिया रोजाना 12 घंटे काम का प्रस्ताव

श्रम मंत्रालय ने संसद से इसी वर्ष पारित व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्तें (ओएसएच) सहिंता, 2020 के मसौदा नियमो के तहत अधिकतम 12 घंटे के कार्यदिवस का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान अधिकतम कार्यदिवस आठ घंटे होता है। इसमें कार्य के दौरान अल्प अवकाश यानि इंटरवल भी शामिल है। हालाँकि 19 नवंबर 2020 को अधिसूचित इस मसौदे में पुरे सप्ताह के दौरान अधिकतम 48 घंटे काम का प्रावधान बरक़रार रखा गया है। मंत्रालय ने सभी साझेदारों से इस बारे में 45 दिनों में राय मांगी है।

मसौदे में कहा गया है कि किसी भी श्रमिक को सप्ताह में 48 घंटे से अधिक समय तक न तो काम करने की जरुरत और न इजाजत होगी। मौजूदा प्रावधानों के तहत सप्ताह के सात दिनों में से छह दिन रोजाना आठ घंटे काम और सातवे दिन विश्राम होता है। श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना था कि भारत की विषम जलवायु परिस्थितयो को ध्यान में रखते हुए 12 घंटे तक के कार्यदिवस का प्रावधान किया गया है। इससे श्रमिकों को ओवरटाइम के रूप में अधिक कमाई का विकल्प मिलेगा। अधिकारी ने कहा कि मसौदा नियमो में आवश्यक प्रावधान है कि आठ घंटे से अधिक काम करने वाले सभी श्रमिकों को ओवरटाइम मिल सके।

यमुना प्राधिकरण के अधिकरियो के मुताबिक टप्पल-बाजना अर्बन सेंटर को 11104 हेक्टेयर में बसाया जाएगा। इसमें 1794.4 हेक्टेयर उद्योग और 1608.3 हेक्टेयर मिश्रिम भू उपयोग के लिए आरक्षित रहेगा। इसके साथ ही शहर की अन्य सुविधाओं के लिए भी जमीन का प्रावधान किया जाएगा।

दो साल तक पीएफ भरेगी सरकार

तीसरे पैकेज में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के रूप में अहम एलान किया गया है। इस स्किम का लाभ भविस्य निधि संगठन से पंजीकृत ऐसी कंपनी या संस्था को मिलेगा, जो कोरोना काल में बेरोजगार हुए या नए लोगो को नौकरी देगी। अगर 50 या इससे कम कर्मचारी वाली कंपनी कम से कम दो नए लोगो नौकरी देती है या 50 से अधिक कर्मचारी वाली कंपनी कम से कम पांच नए लोगो को भविष्य निधि जमा करने की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी।

30 जून, 2021 तक यह स्किम लागू रहेगी और अगले दो साल तक सरकार पीएफ में कर्मचारी का पैसा जमा करेगी। 1000 तक लोगो को नौकरी देने वाली संस्था के लिए केंद्र सरकार कर्मचारी और कंपनी दोनों की पीएफ हिस्सेदारी (वेतन का 24 फीसदी) देगी। 1000 से अधिक रोजगार देने वाली संस्था के लिए केंद्र सरकार पीएफ में 12 फीसदी का योगदान देगी।

व्हाट्सएप पर आया ईपीएफओ

भविष्य निधि खाताधारक (पीएफ) अब अपनी किसी भी समस्या का समाधान तुरंत पा सकते है। भविष्य निधि संगठन ने व्हाट्सप्प सेवा शुरू की है। इसके जरिये उपभोक्ता पीएफ खाते से रकम निकासी से लेकर किसी दूसरी समस्या का समाधान पा सकते है। 138 क्षेत्रीय कार्यालयों में ईपीएफओ की सभी व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवाएं शुरू हो चुकी है। अब कोई भी नागरिक जहा पर उनका पीएफ खाता है, इससे किसी भी तरह की समस्या का समाधान के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप से शिकायत कर सकता है।

एक जनवरी से प्रदेश में महंगी होगी वाहनों की प्रदुषण जांच

नए साल में एक जनवरी से प्रदेश में वाहनों की प्रदुषण जांच करना महंगा हो जाएगा। वाहन स्वामियों को इसके लिए करीब दोगुना पैसा खर्च करना पड़ेगा। नई दरे जारी कर दी गयी है।

इसके दायरे में दोपहिया और चार पहिया समेत सभी तरह के वाहन आएंगे। बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। मैन्युअल व्यवस्था पूरी तरह से ख़तम कर दी गयी है। उत्तर प्रदेश ऑनलाइन मोटरयान प्रदुषण जांच केंद्र योजना 2020 के अंतगर्त थानावार प्रदुषण केंद्र खोले जाएंगे, जिससे हर व्यक्ति आसानी से अपने क्षेत्र में ही वाहन की जांच करा सके।

प्रदुषण जांच की नई दरे

- दो पहिया वाहन - 50 रूपये
- तीन व चार पहिया (पेट्रोल, सीएनजी व एलपीजी) - 70 रूपये
- चार पहिया सभी प्रकार के डीजल वाहन - 100 रूपये

वर्तमान जांच की दर

- दोपहिया वाहन- 30 रूपये
- चार पहिया गाड़ी(पेट्रोल व अन्य)- 40 रूपये
- चार पहिया (डीजल)- 50 रूपये

वाहन और प्रदुषण जांच केंद्रों की स्थिति

- प्रदेश में वाहनों की संख्या - तीन करोड़ से अधिक
- प्रदेश में जांच केन्द्रो की संख्या - 1600